

संख्या एन-4101 5/1/2010-बीसी-III
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, 'ए' विंग, शास्त्री भवन
नई दिल्ली 110001

दिनांक 11 दिसम्बर 2019

सेवा में,

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल

अतीत में विभिन्न अवसरों पर, इस मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार सख्ती से सामग्री प्रसारित करने के लिए प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

2. एतद्वारा यह दोहराया जाता है कि सभी टीवी चैनलों को ऐसी किसी भी सामग्री के संबंध में विशेष रूप से सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है:

(1) जिससे हिंसा को प्रोत्साहित करने या भड़काने की संभावना है या इसमें कानून और व्यवस्था के रखरखाव के खिलाफ कुछ भी शामिल है या जो राष्ट्र-विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है; और/या (ii) जिसमें राष्ट्र की अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई भी चीज शामिल है; और यह सुनिश्चित करें कि ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित न की जाए जो इन संहिताओं का उल्लंघन करती हो।

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

[अमित कटोच]

निदेशक (बीसी)

दूरभाष: 23386394

प्रतिलिपि:

1. श्री रजत शर्मा, अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) मैनेटेक हाउस, तीसरी मंजिल, सी-56/5, सेक्टर 62, नोएडा 201307

2. श्री एनपी सिंह, अध्यक्ष, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) बी-304, तीसरी मंजिल, अंसल प्लाजा, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली 110049
3. सभी डीटीएच/एचआईटीएस ऑपरेटर/एमएसओ/केबल ऑपरेटर